



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-जे.एच.-अ.-18092025-266204
CG-JH-E-18092025-266204

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 596]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 16, 2025/भाद्र 25, 1947

No. 596]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 16, 2025/BHADRA 25, 1947

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(खान सुरक्षा महानिदेशालय)

अधिसूचना

धनबाद, 16 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 640(अ).—कोयला खान विनियम, 2017 के विनियम 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, खनन परीक्षा बोर्ड अपनी पूर्व अधिसूचना सा.का.नि 427(अ), दिनांक 13.06.2019 का अधिक्रमण करते हुये खान में प्रबंधक की सहायता के लिए नियुक्त किये जाने वाले सहायक प्रबंधकों की संख्या निम्नानुसार विनिर्दिष्ट करता है:

1.0 भूमिगत खदान:

प्रत्येक खदान, जिसका औसत उत्पादन 7,000 टन से अधिक है, प्रबंधक को निम्नलिखित पैमाने पर सहायक प्रबंधकों की सहायता प्रदान की जाएगी:

मासिक औसत उत्पादन (आउटपुट)	सहायक प्रबंधकों की संख्या
10,000 टन तक	01
10,000 टन से अधिक	10,000 टन से अधिक प्रत्येक 5000 टन उत्पादन (आउटपुट) या उसके अंश के लिए 01 अतिरिक्त सहायक प्रबंधक।

बशर्ते कि किसी खदान में जहाँ औसत उत्पादन 20,000 टन से अधिक हो, कम से कम एक सहायक प्रबंधक, जैसा कि पूर्वोक्त है, प्रथम श्रेणी प्रबंधक प्रमाण पत्र धारक होगा।

नोट: किसी खान का औसत उत्पादन (आउटपुट) का अर्थ है “पिछले वित्तीय वर्ष में निर्दिष्ट खान सीमा के भीतर सभी कार्यक्षेत्र से कोयला का कुल उत्पादन (आउटपुट) का मासिक औसत जो कोयला खान विनियम, 2017 के विनियम 2(1)(जी) में परिभाषित है”।

2.0 खुली खदान: प्रत्येक खदान में प्रबंधक को निम्नलिखित पैमाने पर औसत सामग्री परिचालन (इसके बाद “एएमएच” के रूप में संदर्भित) आधार पर सहायक प्रबंधकों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

क्रम सं.	तैनाती क्षेत्र	तैनाती का पैमाना					
		एएमएच 06Mm ³ तक	एएमएच 06 Mm ³ से अधिक और 18Mm ³ तक	एएमएच 18 Mm ³ से अधिक और 36Mm ³ तक	एएमएच 36 Mm ³ से अधिक और 60Mm ³ तक	एएमएच 60 Mm ³ से अधिक और 100Mm ³ से अधिक	एएमएच 100Mm ³
ए. सामान्य पाली के दौरान सहायक प्रबंधक की तैनाती ।							
1.	समग्र प्रभारी			01	01	01	01
2.	योजना/प्लानिंग	01	01	01	01	02	02
3.	कोल वर्किंग		01	01	01	02	03
4.	ओवरबर्डन वर्किंग			01	01	02	03
5.	ओवरबर्डन डम्प			01	01	01	02
6.	ड्रिलिंग, विस्फोटकों का हैंडलिंग, चार्जिंग और ब्लास्टिंग	प्रति 20 टन या उसके अंश दैनिक विस्फोटक खपत पर 01	प्रति 20 टन या उसके अंश दैनिक विस्फोटक खपत पर 01	प्रति 20 टन या उसके अंश दैनिक विस्फोटक खपत पर 01	प्रति 20 टन या उसके अंश दैनिक विस्फोटक खपत पर 01	प्रति 20 टन या उसके अंश दैनिक विस्फोटक खपत पर 01	प्रति 20 टन या उसके अंश दैनिक विस्फोटक खपत पर 01
7.	# हॉल रोड का रखरखाव **				01	01	02
8.	**एलएमवी रोड का रखरखाव			01	01	01	01
9.	डंप और गड्ढे (pit) की स्थिरता की निगरानी			01	01	01	02
10.	**प्रकाश व्यवस्था और मानक बनाए रखना, रोशनी सर्वेक्षण और रोशनी प्लान बनाए रखना				01	01	01
11.	**धूल, शोर, कंपन, गर्मी/ठंडा की लहर, एर्गोनॉमिक मुद्दों आदि के प्रति सावधानियाँ और शोर मानचित्रण सहित कार्य वातावरण निगरानी			01	01	01	01
12.	आईएमई/पीएमई, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मुआवजे का भुगतान,			01	01	02	02

	स्वास्थ्य, स्वच्छता, खानों में प्राथमिक चिकित्सा आदि संबंध में कानूनी प्रावधनों का अनुपालन एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी	01	01				
13.	आग, जलप्लावन, बंद या चालू भूमिगत कार्यों के ऊपर कार्य करना आदि जैसे प्रमुख खतरों के प्रबंध के लिए नियंत्रण उपायों का आकलन और सिफारिश करना, जोखिम की समीक्षा करना और एसएमपी को अद्यतन करना तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया और निकासी योजना को बनाए रखना			01	01	02	02
14.	खदान के स्टॉक यार्ड में लोडिंग, अनलोडिंग और प्रेषण	01	01	01	01	01	01
15.	साइडिंग/सीएचपी				01	01	01

3.0 बी. पाली के दौरान सहायक प्रबंधक की तैनाती ।

1.	कोल वर्किंग	प्रत्येकपाली में 01	प्रत्येक पाली में 01	प्रत्येक पाली में 01	प्रत्येक पाली में 01	प्रत्येक पाली में 01	प्रत्येकपाली में 02
2.	ओवरबर्डेन वर्किंग		प्रत्येक पाली में 01	प्रत्येक पाली में 01	प्रत्येक पाली में 01	प्रत्येक पाली में 01	प्रत्येक पाली में 02
3.	डम्प			प्रत्येक बैक शिफ्ट में 01	प्रत्येक पाली में 01	प्रत्येक पाली में 01	प्रत्येकपाली में 01
4.	हॉल रोड का रख-रखाव	बैक शिफ्ट में 01	बैक शिफ्ट में 01	बैक शिफ्ट में 01	बैक शिफ्ट में 01	प्रत्येक बैक शिफ्ट में 01	प्रत्येक बैक शिफ्ट में 01
5.	प्रकाश व्यवस्था				बैक शिफ्ट मेंबैक शिफ्ट में 01	01	01
6.	धूल दमन के उपाय				बैक शिफ्ट मेंबैक शिफ्ट में 01	01	01
7.	खदान के स्टॉक यार्ड/सीएचपी/साइडिंग से प्रेषण और यातायात प्रबंधन	बैक शिफ्ट में 01	बैक शिफ्ट में 01	बैक शिफ्ट में 01	प्रत्येक पाली में 01	प्रत्येक पाली में 01	प्रत्येकपाली में 01

सी. अतिरिक्त सहायक प्रबंधकों की तैनाती: जब एएमएच ऊपर परिभाषित किसी विशेष सीमा की निचली सीमा से अधिक हो जाता है, तो पाली और सामान्य पाली के लिए ऊपर निर्धारित सहायक प्रबंधकों के अलावा अतिरिक्त सहायक प्रबंधकों को निम्नलिखित पैमाने पर जोखिम स्तर सहित साइट विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर प्रबंधक द्वारा तय किए गए क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा।

जोखिम स्तर सहित साइट विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर प्रबंधक द्वारा तय किया गया क्षेत्र	01Mm ³ से अधिक और 06Mm ³ तक प्रत्येक 01Mm ³ एमएमएच या उसके अंश के लिए 01	06Mm ³ से अधिक और 18 Mm ³ तक प्रत्येक 2Mm ³ एमएमएच या उसके अंश के लिए 01	18Mm ³ से अधिक और 36Mm ³ तक प्रत्येक 2.5 Mm ³ एमएमएच या उसके अंश के लिए 01	36Mm ³ से अधिक और 60Mm ³ तक प्रत्येक 3.0Mm ³ एमएमएच या उसके अंश के लिए 01	60Mm ³ से अधिक और 100Mm ³ तक प्रत्येक 3.5Mm ³ एमएमएच या उसके अंश के लिए 01	100Mm ³ से अधिक प्रत्येक 04 Mm ³ एमएमएच या उसके अंश के लिए 01
---	---	---	---	--	---	---

नोट:

- जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एमएच की एक विशेष श्रेणी के लिए खदान में प्रतिदिन तैनात किए जाने वाले सहायक प्रबंधकों की संख्या, उस श्रेणी के कॉलम में उल्लिखित सभी तैनाती अर्थात् (ए+बी+सी) का जोड़ होगा।
- उपरोक्त निर्धारित स्केल का कम से कम 30% प्रथम श्रेणी प्रबंधक प्रमाणपत्र या प्रथम श्रेणी प्रबंधक प्रमाणपत्र (केवल ओपनकास्ट खनन स्थलों वाले खान के लिए सीमित) धारक होना चाहिए।
- छुट्टी, बीमारी, आराम, अवकाश आदि को ध्यान रखके खदान में अतिरिक्त सहायक प्रबंधकों को नियुक्त किया जाएगा, ताकि प्रत्येक कार्य दिवस/पाली पर उपरोक्त निर्धारित स्केल अर्थात् (ए+बी+सी) के अनुसार सहायक प्रबंधकों की तैनाती सुनिश्चित किया जा सके।

उपरोक्त स्केल के अनुसार सहायक प्रबंधकों की तैनाती करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाएगा।

- # जब खदान में हॉल रोड की कुल लंबाई 10 किलोमीटर से अधिक हो, तो हॉल रोड के रख-रखाव के लिए एक सहायक प्रबंधक को स्वतंत्र रूप से तैनात किया जाएगा, भले ही एमएच 36Mm³ से अधिक न हो।
 - खदान में उपरोक्त निर्धारित स्केल के अनुसार सहायक प्रबंधकों की नियुक्ति, खान के मालिक, अभिकर्ता और प्रबंधक द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। ऊपर निर्धारित विभिन्न क्षेत्रों में तैनाती केवल दिशा निर्देशात्मक उद्देश्य के लिए है। खान प्रबंधक, स्थल विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सहायक प्रबंधकों के अधिकार क्षेत्र/तैनाती क्षेत्र का निर्धारण करेगा और तैनाती इस प्रकार की जाएगी कि खान का प्रत्येक भाग सहित, अप्रयुक्त वर्किंग और महत्वपूर्ण सतह विशेषताओं और ठेकेदार/आउटसोर्स एजेन्सी/खान संचालक द्वारा किए जानेवाले खनन कार्य सहित समस्त खनन कार्य, सामान्य पाली और सभी पालियों में सहायक प्रबंधक के प्रभार में रहे। कोयला खान विनियम, 2017 के विनियम 7(3) के अंतर्गत भेजे जाने वाले प्रत्येक सहायक प्रबंधक की नियुक्ति/नियुक्ति की समाप्ति के नोटिस में अधिकार क्षेत्र/तैनाती क्षेत्रों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। सहायक प्रबंधक की सहायता के लिए खदान में पर्याप्त संख्या में अन्य वैधानिक/सक्षम व्यक्तियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी।
 - ** केवल हॉल रोड एवं एलएमवी रोड के रख-रखाव, प्रकाश व्यवस्था और मानक को बनाए रखने, रोशनी सर्वेक्षण और रोशनी प्लान को बनाए रखने, धूल, शोर, कंपन, गर्मी/ठंडा की लहर, एर्गोनोमिक मुद्दे आदि के खिलाफ सावधानियों की निगरानी और कार्य वातावरण निगरानी के उद्देश्य से, खनन इंजीनियरिंग में डिग्री या केन्द्र सरकार द्वारा उस सम्बन्ध में अनुमोदित अन्य समकक्ष योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति को उपरोक्त निर्धारित स्केल में सहायक प्रबंधकों की नियुक्ति माना जाएगा।
- आईएमई/पीएमई, व्यवसायिक प्रशिक्षण, मुआवजे का भुगतान, स्वास्थ्य, स्वच्छता, खानों में प्राथमिक चिकित्सा आदि, और व्यवसायिक स्वास्थ्य निगरानी से सम्बन्धित प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियुक्त सहायक प्रबंधकों में से कम से कम एक प्रथम श्रेणी प्रबंधक प्रमाणपत्र या प्रथम श्रेणी प्रबंधक प्रमाणपत्र (केवल ओपनकास्ट खनन स्थलों वाले खान के लिए सीमित) धारक होना चाहिए और उसे उसका सभी वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए उचित रसीद के साथ पर्याप्त संख्या में सहायकों और कर्मचारियों की सहायता प्राप्त होने चाहिए।

नोट:

- किसी खान का औसत सामग्री परिचालन (average material handled) का अर्थ है “पिछले तीन वित्तीय वर्षों में निर्दिष्ट खान सीमा के अंदर के सभी उत्खनन से कोयला और ओवरबर्डन मिलाकर कुल उत्खनन का वार्षिक औसत”।

- ii. प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर : एएमएच-औसत सामग्री परिचालन(average material handled), Mm^3 -मिलियन क्युबिक मीटर, एसएमपी- सुरक्षा प्रबंधन योजना(Safety Management Plan), एलएमवी-हल्का मोटर वाहन(light motor vehicle), सीएचपी- कोल हैंडलिंग प्लांट, आईएमई- इनिसियल मेडिकल एंजामिनेशन एवं पीएमई- पीरियोडिकल मेडिकल एंजामिनेशन।

- 3.0** यदि अधिसूचना के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच कोई भिन्नता या संदेह होती है तो अधिसूचना का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

[फा.सं. डी.जी.एम.एस/परीक्षा/सी.एम.आर./उपनियम/2025/2]

उज्ज्वल ता, मुख्य खान निरीक्षक एवं अध्यक्ष

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Directorate General of Mines Safety)

NOTIFICATION

Dhanbad, the 16th September, 2025

G.S.R. 640(E).—In exercise of the powers conferred on Board of Mining Examination under Regulation 30 of the Coal Mines Regulations, 2017, the Board in supersession of its earlier notification vide G.S.R. 427(E) dated, 13.6.2019 hereby specify the number of Assistant Managers to be appointed in a mine to assist the manager, as follows:

1.0 Underground mines:

In every mine the average output of which exceeds 7,000 tonnes, the manager shall be assisted by assistant managers on the following scale:

Average output per month	Number of assistant managers
Up to and including 10,000 tonnes	One.
Above 10,000 tonnes	One additional assistant manager for every 5,000 tonnes output or part thereof in excess of 10,000 tonnes.

Provided that in a mine where the average output exceeds 20,000 tonnes, at least one of the assistant managers as aforesaid shall hold a First Class Manager's Certificate.

Note: Average output of any mine, means the average output per month during the preceding financial year of the total output from all workings within the specified mine boundary as defined in Regulation 2 (1) (g) of the Coal Mines Regulations, 2017.

1.0 Opencast mines: In every mine, the manager shall be assisted by assistant managers based on the average material handled (hereinafter referred to as "AMH") on the following scale.

Sl. no.	Deployment Areas	Scale of deployment					
		AMH upto 06 Mm^3	AMH exceeds 06 Mm^3 and upto 18 Mm^3	AMH exceeds 18 Mm^3 and upto 36 Mm^3	AMH exceeds 36 Mm^3 and upto 60 Mm^3	AMH exceeds 60 Mm^3 and upto 100 Mm^3	AMH exceeds 100 Mm^3
A. Deployment of Assistant Managers during general shift.							
1.	Overall in-charge	01	01	01	01	01	01
2.	Planning			01	01	02	02
3.	Coal workings	01	01	01	01	02	03

4.	Overburden workings		01	01	01	02	03
5.	Overburden Dumps			01	01	01	02
6.	Drilling, handling of explosives, charging and Blasting	01 for every 20 tonnes of explosives consumption per day or part thereof	01 for every 20 tonnes of explosives consumption per day or part thereof	01 for every 20 tonnes of explosives consumption per day or part thereof	01 for every 20 tonnes of explosives consumption per day or part thereof	01 for every 20 tonnes of explosives consumption per day or part thereof	01 for every 20 tonnes of explosives consumption per day or part thereof
7.	# Maintenance of haul roads**	01	01	01	01	01	02
8.	** Maintenance of LMV roads				01	01	01
9.	Monitoring of dump and pit stability			01	01	01	02
10.	** Maintaining the lighting arrangements & standard, illumination survey & maintaining Illumination plan	01	01	01	01	01	01
11.	** Precautions against dust, noise, vibration, heat/cold wave, ergonomic issues etc & work environment surveillance including noise mapping				01	01	01
12.	Compliance of legal Provisions regarding IME/PME, Vocational training, payment of compensation, health, sanitation, first-aid in mines etc & Occupational health surveillance			01	01	02	02
13.	Assessment & recommend control measures to manage principal hazards like fire, inundation, workings over closed or running underground workings etc, review of risk & updating the SMP and maintaining the Emergency response and evacuation plan	01	01	01	01	02	02
14.	Loading, unloading in mine stock yard and dispatch				01	01	01
15.	Siding/CHP	01	01	01	01	01	01

B. Deployment of Assistant Managers during shifts

1.	Coal workings	01 in each shift	01 in each shift	01 in each shift	01 in each shift	01 in each shift	02 in each shift
2.	Overburden workings		01 in each shift	01 in each shift	01 in each shift	01 in each shift	02 in each shift
3.	Dumps			01 in each back shift	01 in each shift	01 in each shift	01 in each shift
4.	Maintenance of haul roads	01 in back shifts.	01 in back shifts.	01 in back shifts.	01 in back shifts.	01 in each back shift.	01 in each back shift.
5.	Provision of illumination				01 in back shifts.	01 in back shifts.	01 in back shifts
6.	Dust suppression measures				01 in back shifts.	01 in each back shift.	01 in each backshift.
7.	Dispatch from mine stock yard/Siding/CHP and traffic management.	01 in back shifts.	01 in back shifts.	01 in backshifts.	01 in each shift.	01 in each shift.	01 in each shift

C. Deployment of additional Assistant Managers- When the AMH exceeds the lower limit of any particular range as defined above; additional assistant managers apart from that prescribed above for shifts and general shift shall be deployed in the areas as decided by the manager based on the site specific requirements including risk level on following scale.

1.	Areas based on site specific requirements including risk level as decided by the manager.	01 for every 01 Mm³ of AMH or part thereof in excess of 01Mm³ upto 6 Mm³	01 for every 02 Mm³ of AMH or part thereof in excess of 06Mm³ upto 18 Mm³	01 for every 2.5Mm³ of AMH or part thereof in excess of 18 Mm³ upto 36 Mm³	01 for every 03Mm³ of AMH or part thereof in excess of 36 Mm³ upto 60 Mm³	01 for every 3.5Mm³ of AMH or part thereof in excess of 60 Mm³ upto 100Mm³	01 for every 4Mm³ AMH or part thereof in excess of 100Mm³
----	---	--	---	--	---	--	--

Note:

- Number of assistant managers to be deployed daily in the mine for a particular range of AMH, as mentioned above, shall be the addition of all deployment, as mentioned in the column of that range (i.e. A+B+C).
- At least 30% of the above prescribed scale shall be holder of First Class Manager's Certificate or First Class Manager's Certificate (restricted to mines having opencast working only).
- To cater for leave, sick, rest, holiday etc. additional assistant managers shall be appointed in the mine so that deployment as per above prescribed scale (i.e. A+B+C) on each working day/shift is ensured.

While deployment of assistant managers as per above scale, following points shall be considered.

- # When the overall length of haul roads in the mine exceeds 10 Km, one assistant manager shall be deployed independently for maintenance of haul roads even if the AMH is not exceeding 36 Mm³.
- Appointment of assistant managers as per the above prescribed scale in the mine shall be ensured by the owner, agent and manager of the mine. The deployment in different areas as prescribed above is for guideline purposes only. The manager of the mine shall define the areas of jurisdiction/deployment of the assistant managers, considering the site specific requirements and the deployment shall be such that every part of the mine including disused workings & important surface features and every mining operation including that carried by contractor/outsourced agency/mine operator are placed under the charge of an assistant manager in both general shift and all shifts. The areas of jurisdiction/deployment shall be clearly mentioned in the notice of appointment/termination of appointment of each assistant manager required to be sent under regulation 7(3) of the Coal Mines Regulations, 2017. Adequate other statutory/competent persons and staffs shall be appointed in the mine to assist the assistant manager.

- iii. ** Only for the purpose of maintaining haul road & LMV road, maintaining lighting arrangements & standard, illumination survey & maintaining Illumination plan, monitoring precautions against dust, noise, vibration, heat/cold wave, ergonomic issues etc & work environment surveillance, appointment of persons possessing Degree in Mining Engineering or other equivalent qualification approved in that behalf by the Central Government may be deemed to be as appointment of assistant managers in the above prescribed scale.
- iv. For the purpose of ensuring compliance of provisions regarding IME/PME, Vocational training, payment of compensation, health, sanitation, first-aid in mines etc & occupational health surveillance at least one of the assistant manager so appointed shall be holder of First Class Manager's Certificate or First Class Manager's Certificate (restricted to mines having opencast working only) and he shall be assisted by adequate number of assistants & staff with proper logistics to carry out all statutory obligations of the appointee.

Note:

- i. The expression "**average material handled**" at any mine means 'the average material (coal and overburden material) handled per year during three preceding financial years from all workings within the fixed mine boundaries.
- ii. **Abbreviations used:** **AMH**-average material handled **Mm³**-Million cubic meter, **SMP**-Safety Management Plan, **LMV**- Light Motor Vehicle, **CHP**-Coal Handling Plant, **IME**-Initial medical examination and **PME**- Periodical medical examination.

3.0 If there is any variation or doubt between English and Hindi versions of Notification, then English version of Notification will prevail over the Hindi version.

[F. No. D.G.M.S/EXAMS/C.M.R./BYE LAWS/2025/2]

UJJWAL TAH, Chief Inspector of Mines & Chairman